कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्र/क्यू-8/भू-अभि/स्था-1/2026/ 76 भिण्ड,दिनांक:- 08/01/2026

प्रति,

तहसीलदार
तहसील मेहगांव

विषय: पटवारियों को एग्रीस्टेक भत्ता प्रदाय किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बावत|
सन्दर्भ: आपका पत्र क्र 04 दिनांक 02/01/2026 |

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा पटवारियों को एग्रीस्टेक भत्ता प्रदाय किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है|

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र 1063/997/2022/सात-5 भोपाल दिनांक 01/10/2023 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/क्यू-8/भू.अभि./स्था-1/2023/1424 भिण्ड दिनांक 30/10/2023 द्वारा सभी पटवारियों को उक्त भत्ता प्रदाय करने के निर्देश दिए गए है एवं आपसे पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्र 1754 दिनांक 21/07/2025 से अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय में कार्यरत पटवारियों को उक्त भत्ता न देने के समबन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया था जो आज दिनांक तक अप्राप्त है|

आपके द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा निम्न तीन बिन्दुओ पर मार्गदर्शन चाहा गया है जो निम्नानुसार है-

1. <u>अवकाश</u>: अवकाश पर गए पटवारियों को भत्ता प्रदाय करने में अवकाश नियम 1977 एवं नवीन अवकाश नियम 2025 का अवलोकन करे|
2. <u>निलंबन</u>: निलंबित पटवारियों को उक्त भत्ता प्रदाय करने में मूलभूत नियम 53, 54 का अवलोकन करे|
3. <u>जिला कार्यालय</u>: जिला कार्यालय में पटवारी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में कार्यरत है एवं सौपे गए समस्त शासकीय कार्य संपादित कर रहे है| पूर्व में भी आपको जिला कार्यालय में कार्यरत पटवारियों को उक्त भत्ता देने के निर्देश दिए गए है|

अतः शासन द्वारा प्रदत समस्त भत्ते जिले में पदस्थ समस्त पटवारियों को दिया जाना सुनिश्चित करे|

कलेक्टर
जिला भिण्ड

पृ.क्र/क्यू-8/भू-अभि/स्था-1/2026/ 77 भिण्ड,दिनांक:- 08/01/2026

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार तहसील भिण्ड, भिण्ड नगर, अटेर, गोरमी, गोहद, मौ, लहार, रोन एवं मिहोना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|

कलेक्टर
जिला भिण्ड

Scanned with OKEN Scanner